Licence under section 8 (1) of the Companies Act, 2013
[Pursuant to rule 20 the Companies (Incorporation) Rules ...

प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द,(छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 26/09/2023

क्र./14705 /विभागीय मान्यता/2023

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

रिवर्डेल वर्ल्ड स्कूल महासमुन्द,

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र का दिनांक **17/07/2023** के सन्दर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण करता की अनुशंसा उपरांत मै **रिवर्डेल वर्ल्ड स्कूल महासमुन्द, वि.ख. – महासमुन्द,** (विद्यालय का नाम एवं पता सहित) को **कक्षा नर्सरी से आठवीं (अंग्रेजी माध्यम)** तक के लिए सत्र **2023–24 से 2025–26 तक** की अवधि के लिए सशर्त अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हू। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्याधीन होगीः–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता होगी। जिसकी शर्ते निम्नानुसार होगीः–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबध्दन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारं अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओ के मामले में भी इन मानको का अनुपालन किया जाएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी स्कूल कोई भी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे का या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वही अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा।
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि :–

(एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में फेल या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पांच) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

(छः) अध्यापको की भर्ती, अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते है, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी।